OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights)Act (FRA), 2006.

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Rakesh Kumar Prajapati, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 24-08-2020 at 11.00 AM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Jandaur, claiming rights in **00-99-18 Hectares** forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Dehra, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right

______________ No claim filed by anyone______

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected :- (Not applicable)

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right

OR

As informed by SDO (Civil) Dehra , no application was received from Gram Sabha Jandaur claiming rights in **00-99-18 Hectares** forest area.

Place : Dharamshala

No : 2148 /DRA Dated : 27-08-2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Forest Rights Committee

***Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.**

Form-II

(for projects other than linear projects)

Office of the District Collector, Kangra at Dharmshala.

No. 2147 /DRA Dated: 27/08/2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF),Govt.of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act,2006 (FRA, for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes in respect of other than linear projects, it is certified that **00-99-18** hectares in Mohal Jandaur of forest land proposed to be diverted in favour of Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training for construction of Govt. Polytechnic Jandaur, in Tehsil Jaswan of Kangra District falls within jurisdiction of Gram Sabha Jandaur in Tehsil Jaswan, Distt Kangra (Dehra Forest Division).

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-99-18** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Jandaur, Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexures.

(b) The proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before the concerned Gram Sabha/ Municipal Council.

(c) The Gram Sabha Jandaur have certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure , if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Jandaur is enclosed as annexure.

(d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha/Municipal Council have been their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA (Not applicable).

District Collector
Kangra at Dharamshala.

103 366

Annexure-III

OFFICE OF THE SDO CIVIL), DEHRA
DISTRICT KANGRA (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of DEHRA Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms DHANBIR THAKUR SDO(Civil) DEHRA on 11/08/2020 at 11.00 AM/PM at DEHRA (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of JANDAUR Gram Sabha, claiming rights in MOHAL JANDAUR forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the JANDAUR Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No.	Name of Applicant*	Name of Forest	Detail of forest Right
1.			
2.			

OR

As informed by _____ Gram Sabha, no application was received claiming rights in _____ forest area.

Place: DEHRA

Date 11/08/2020 SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Sub Divisional Officer (Civil) Dehra, Distt. Kangra (H.P.)

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area

Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007 के अन्तर्गत उपमण्डल स्तर पर गठित कमेटी की बैठक आज दिनांक 11/08/2020 को श्री धनवीर ठाकुर HAS उपमण्डल अधिकारी (ना0) देहरा की अध्यक्षता में हुई जिसमें महाल जन्डौर में Govt. Polytechnic Jandaur की स्थापना हेतू वन अधिकार समिति ग्राम सभा जन्डौर तथा ग्राम सभा जन्डौर द्वारा पारित प्रस्ताव बारे चर्चा की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

1. Tehsildar Dehra [signature]
2. [signature] RFO Dehra
3. Anita [illegible] [signature]
4. Toshma Toshma
5. Mukesh Soni [signature]

चर्चा उपरान्त पाया गया कि महाल जन्डौर में Govt. Polytechnic Jandaur की स्थापना हेतू कमेटी के किसी भी सदस्य ने कोई भी आपति दर्ज न करवाई तथा वन अधिकार समिति ग्राम सभा जन्डौर तथा ग्राम सभा जन्डौर द्वारा पारित प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की । अतः उपमण्डलीय स्तर पर गठित कमेटी भी उक्त प्रस्ताव को स्थानीय जनता के हक में अपनी सिफारिश सहित जिला स्तर पर गठित कमेटी को प्रेषित करती है।

[signature]

SDO © -cum- Chairman/ Chairperson
Sub Division Level Committee Dehra , Distt. Kangra HP

(101)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा जण्डौर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 04/06/2019

257/504 (1/2)

वन अधिकार समिति ग्राम सभा जण्डौर की बैठक आज दिनांक 04/06/2019 को 10:00 बजे, स्थान पंचायत घर जण्डौर में श्री/श्रीमति होशियार सिंह प्रधान व अधिकार समिति जण्डौर की अध्यक्षता में की गई जिसमें जण्डौर गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जण्डौर जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बहु तकनीकी संस्थान जण्डौर के निर्माण के लिए 0-99-18 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है), वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0स0	* पात्र ग्रांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	कोई भी दावा नहीं आया।		

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1	शून्य
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

खसरा न0 542/1 व 541/1 जण्डौर जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान जण्डौर

दिनांक 04/06/2019

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

प्रधान वन अधिकार कमेटी ग्राम ... जण्डौर ग्राम पंचायत जण्डौर तह0 जस्वां जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है*

(102)

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम सभा...जण्डौर 2...

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक...18/06/2019

प्रस्ताव संख्या...01...

...190/340 (1/2)

ग्राम सभा...जण्डौर 2...की बैठक आज दिनांक...18/06/2019...को...11:00...बजे, स्थान...ग्राम पंचायत जण्डौर 2 में श्री/श्रीमति...शान्ता देवी...की अध्यक्षता में की गई जिसमें...जण्डौर 2...गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत...जण्डौर 2...जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें...लोकनिर्माण विभाग (लो० नि०)...विभाग द्वारा...**बहुतकनीकी संस्थान जण्डौर 2...के निर्माण के लिए...0-99-18...हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल को नाम	वन अधिकार का
1.	कोई भी दावा नहीं किया गया।		
2.			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया:–

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	शून्य
2.	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार ...खसरा नं 542/1 व 541/1 जण्डौर 2...जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान...जण्डौर 2...

दिनांक...18/06/2019...

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा...

हस्ताक्षर... शान्ता देवी

दिनांक...

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जेंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** *प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।*

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा जण्डौर
विकास खण्ड प्रागपुर जिला कॉंगडा(हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 18/06/2019

गणपूर्ति 196/340 (1/2)   प्रस्ताव संख्या 01

विषय:- महाल जण्डौंर खाता न0 180 मिन खतौनी न0 360 मिन खसरा न0 542/1 व 541/1 जमाबंदी वर्ष 2014–15 को तकनीकि शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,हि0 प्र0 द्वारा बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान, जण्डौंर के निर्माण के लिए जण्डौंर जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित रकबा 0–99–18 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने बारे ।

ग्राम सभा जण्डौंर की बैठक आज दिनांक 18/06/2019 को 11: 00 बजे, पंचायत कार्यालय जण्डौंर में की गई जिसमें तकनीकि शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,हि0 प्र0 द्वारा बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान, जण्डौंर के निर्माण के लिए महाल जण्डौंर खाता न0 180 मिन खतौनी न0 360 मिन खसरा न0 542/1 व 541/1 जमाबंदी वर्ष 2014–15 जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित रकबा **0–99–18 हैक्टेयर** वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई ।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि को प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बधित सारी प्रकिया पूरी कर ली गई है तथा प्रस्तावित **0–99–18 हैक्टेयर** वन भूमि को बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान, जण्डौंर के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा जण्डौंर की सहमति दी जाती है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत जण्डौर
विकास खण्ड प्रागपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

स्थान जण्डौंर

थ्दनांक 18/06/2019

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा ____ 18/06/19

वन अधिकार समिति ग्राम जण्डौर तहसील जसवां जिला कॉगड़ा हि0 प्र0

NOC(FRC)

वन अधिकार समिति ग्राम जण्डौर तहसील जसवां जिला कॉगडा हि0 प्र0 की बैठक प्रधान वन अधिकार समिति जण्डौंर श्री होशियार सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 29/05/2019 को हुई, समिति सर्व सम्मति से पारित करती है कि ग्राम जण्डौंर तहसील जसवां जिला कॉगडा में प्रस्तावित तकनीकि शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,हि0 प्र0 द्वारा बहुतकनीकी शिक्षण संस्थान, जण्डौंर के स्थापना के लिए वन भूमि ,महाल जण्डौंर खाता न0 180 मिन खतौनी न0 360 मिन खसरा न0 542/1 व 541/1 जमाबंदी वर्ष 2014–15 रकबा **0–99–18 हैक्टेयर** में बनने से वन समिति को कोई आपति नहीं है।

प्रधान FRC

प्रधान
वन अधिकार कमेटी
ग्राम ....
ग्राम पंचायत जण्डौर
तह० जस्वां जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

सदस्य

1	गुरभजन सिंह S/o पूर्न सिंह	गुरभजन सिंह
2	सुरम सिंह S/o हरनाम सिंह	[signature]
3	बीना देवी W/o किशोरी लाल	बीना देवी
4	मलकीत सिंह S/o प्रितम चंद	मलकीत सिंह
5	वजीर चंद S/o पौंडु राम	वजीर चंद
6	सुरिन्द्र सिंह S/o हरवन्स सिंह	Surinder Singh
7	रोशन लाल S/o मंगत राम	रोशन लाल
8	रघुबीर सिंह S/o मक्खन सिंह	Raghbir Singh
9	शशी कांता W/o हेमराज	शशी कान्ता
10	पुष्पा देवी W/o ध्यान सिंह	पुष्पा देवी
11	महिन्द्र सिंह S/o सुरजन	Mahinder Singh
12	प्रकाश चन्द्र S/o धौलू राम	Parkash Chand